

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998  
IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

Case No. 59/2017

Complaint or report made on .....

Name and address of the Complainant.....

सावकारी, विभाग  
20 कट गुप्ता  
नायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
लेवट जिला मिण्ड पाण्ड

Name, parentage, caste and address of accused

रंजीत श. दरनिलाल लिलोदिप  
इम-25 नि-सिधारी  
धाना-मालवपुर

The offence, complainant of, and date of, its alleged commission

आप पर आरोप है कि दिनांक 24/11/2016 मुकाम  
रिहायशी मान पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने  
आधिपत्य में 01 लीटर/पाव/बोतल कट शराब विक्रय/परिवहन हेतु रखी।

ऐसा करके आपने आबकारी अधि 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय  
अपराध कारित किया।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।

The plea of the accused and his examination (if any)

रंजीत श. दरनिलाल लिलोदिप  
नायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
लेवट जिला मिण्ड पाण्ड

अपराध स्वीकार है। न्यून दण्ड से दण्डित करने का निवेदन है।

रंजीत

रंजीत श. दरनिलाल लिलोदिप  
नायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
लेवट जिला मिण्ड पाण्ड


The offence proved. If any and in case under clause(d) clause(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.



// निर्णय //

(आज दिनांक 27/3/2018 को घोषित)

01. अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।
03. अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत न्यायाल उठने तक की अवधि तक की सजा एवं रुपये 500 शब्दों में पाँच लाख रुपये रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर 7 दिवस का साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे।
04. जप्तशुदा सम्पत्ति 1 लीटर/फाव/सेतल एक शराब मूल्यहीन एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार नष्टकर व्ययनित की जावे। अपील होने की दशा में मान० अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

  
मेरे निदेशानुसार  
न्यायालय